10/02/25	आज पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट अभिभाषक उपस्थित। पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार) मरैना की ओर से सम्बन्धित पटवारी हल्का सामौर एवं गिरदावर हल्का दिहौली उपस्थित हुए। सरकार की ओर से जबाव पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।		जवाब की प्रति प्राप्त

अति० जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	अपीलान्ट द्वारा अपील में हल्का पटवारी द्वारा आपसी रंजिश रिपोर्ट करना तथा प्रिंटेड प्रारूप में झूठी रिपोर्ट पेश करना तथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मरैना द्वारा दिनांक 18.11.2024 को अपीलान्ट के विरूद्ध बिना साक्ष्य का अवसर दिये कथित राठौडी आदेश पारित करने का आरोप लगाते हुए नायब तहसीलदार मरैना निर्णय दिनांक 18.11.2024 को अपास्त करते हुए अपीलान्ट के पक्ष मे नियमन चाहा है। इस सबंध में अधीनस्थ न्यायालय से अपीलान्ट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने/विवादित भूमि का सीमाज्ञान सम्बन्धी कार्यवाही की रिपोर्ट एवं जबाव अपील/स्थगन चाहा गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 07.01.2025 एवं 09.01.2025 द्वारा रिपोर्ट भेजी गई। जिसकी प्रति वकील अपीलान्ट को दी गई। नायब तहसीलदार द्वारा अपने जबाव में अतिक्रमी को पिछले सम्वत् 2080 में बेदखल करने एवं उसके पश्चात भी पुनः सम्वत् 2081 में सरसों बोकर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए सही निर्णय पारित करना बताया है। साथ ही दिनांक 06.11.2024 को राजस्व टीम द्वारा मौके पर पैमाईश करना और अतिक्रमियों को उनकी खातेदारी भूमि चिन्हित कर अतिक्रमी को निर्णय से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना जाहिर किया है। साथ में दिनांक 06.11.2024 को सीमाकंन व दिनांक 12.03.2024 को सम्बत् 2080 में फसल नष्ट करने का मौका पर्चा भी संलग्न किया है। उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई जिसमें उभयपक्षकारान द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत जबाव में अंकित तथ्यो को ही दोहराया गया है।	

अति० जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned with OKEN Scanner

हमने पत्रावली का अवलोकन किया।अपीलान्ट के विरूद्ध ग्राम मढई तहसील राजाखेडा में खसरा नं0 259/226 रकबा 0.25 हैc किस्म गै0मु0 बीहड़ भूमि पर सरसों की बुवाई करने के विरूद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाकर दिनांक 18.11.2024 को फसल नष्ट करने एवं सिविल कारावास से दंडित किया है। संलग्न सम्वत् 2080 में दिनांक 12.03.2024 को फसल खुर्द-बुर्द करने सबंधी मौका पर्चा एवं वर्तमान रवी में दिनांक 6.11.2024 सीमाज्ञान सबंधी मौका पर्चा में अतिक्रमी संतोष के अतिक्रमण शुदा खसरा नम्बर 259/226 का कहीं भी उल्लेख नही है। जिसके कारण अपीलान्ट को संदेह का लाभ देते हुये पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से सिद्ध नहीं होने से अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार मरैना निर्णय दिनांक 18.11.2024 में अतिक्रमी को दी गई सिविल कारावास सजा निरस्त की जाती है। निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मरैना को पालना हेतु भेजी जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखित दफ्तर हो।

(धीरेन्द्र सिंह)
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

आदेश आज दिनांक 10.01.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(धीरेन्द्र सिंह)
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned with OKEN Scanner